संख्या-03/2021/113/12-5-2021-सा-01/2019

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- कृषि निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 22 जनवरी, 2021

विषयः- दिनांक 01 फरवरी, 2021 से 03 फरवरी, 2021 तक "पीएम किसान समाधान दिवस" का आयोजन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि किसानों के कल्याण के लिए संचालित अति महत्वपूर्ण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत आधार आथेन्टिकेशन अनिवार्य हो जाने के कारण भारी संख्या में ऐसे किसानों, जिनका आधार संख्या इनवैलिड है अथवा आधार कार्ड में उल्लिखित नाम के अनुरूप डाटा बेस में नाम नहीं फीड हुआ है, उनकी किसान सम्मान निधि की आगामी किश्तों का भुगतान भारत सरकार द्वारा रोक दिया गया है। ऐसे प्रकरणों के समाधान के लिए pmkisan.gov.in पर ओपेन सोर्स से आधार संख्या तथा आधार के अनुसार नाम सुधार की व्यवस्था दी गयी है, किन्तु अभी भी काफी संख्या में किसान ऐसे हैं जिनका डाटा सुधार नहीं हो सका है।

2- शासन द्वारा इन लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए दिनांक 01 फरवरी, 2021 से 03 फरवरी, 2021 तक ''पीएम किसान समाधान दिवस'' आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस समाधान दिवस को सफल बनाने के लिए आपके स्तर पर निम्न कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा की गयी है:-

1. जनपद में इस बात का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय कि जिन किसानों का आधार नम्बर गलत होने के कारण अथवा आधार के अनुसार नाम सही नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा, वे दिनांक 01.02.2021 से 03.02.2021 तक कार्यालय अवधि में अपने विकास खण्ड के राजकीय बीज गोदाम पर अपने आधार कार्ड/बैंक खाते का विवरण के साथ पहुंचे और अपना डाटा ठीक करायें।
2. प्रत्येक विकास खण्ड पर स्थित कृषि विभाग के राजकीय बीज गोदाम पर कृषि विभाग तथा अन्य विभागों में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों को यथा आवश्यकता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

03 दिन के लिए तैनात किया जाय। जहां किसानों की आधार संख्या को तथा आधार के अनुसार नाम को pmkisan.gov.in पोर्टल पर तुरन्त ही दुरूस्त किया जाय।

3. जिन किसानों को योजना की कम से कम एक किश्त प्राप्त हो रही है, किन्तु उनका आधार संख्या या नाम त्रुटिपूर्ण है तो ऐसे किसानों का विवरण संबंधित बैंक से प्राप्त करते हुए, उनका शत-प्रतिशत सत्यापन कराते हुए उनका डाटा दुरूस्त कराया जाय।
4. pmkisan.gov.in पर जनपदीय उप कृषि निदेशक के लॉगिन के अन्दर इनवैलिड आधार करेक्शन और आधार के अनुसार नाम संशोधन की प्रगति प्रदर्शित होती है, उस पर प्रदर्शित हो रही सूचना के अनुसार प्रतिदिन अनुश्रवण करते हुए लम्बित सभी प्रकरणों का समाधान किया जाय।
5. यह समाधान मुख्य रूप से इनवैलिड आधार तथा आधार के अनुसार नाम सही कराने के लिए आयोजित किया जा रहा, किन्तु इसके अतिरिक्त अन्य समस्या को लेकर किसान विकास खण्ड पर पहुंचता है तो उसका भी यथोचित उत्तर /समाधान दिवस में दिया जाय।
6. विकास खण्ड स्तर पर समाधान दिवस का संचालन कृषि विभाग के बीज गोदाम प्रभारी द्वारा किया जायेगा। उनके पर्यवेक्षण के लिए जनपद के श्रेणी-2 के किसी भी अधिकारी को आपके स्तर से नामित किया जाय।

कृपया उक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत एक लम्बे समय से चली आ रही समस्या का समाधान आपके स्तर से कराया जाना है। इस समस्या के समाधान के लिए यदि आप कोई और बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं तो आप अपने जनपद में अवश्य करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व एवं देखरेख में उक्त समाधान दिवस में पीएम किसान से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान होगा और किसानों को योजना का रूका हुआ लाभ पुनः मिलना आरम्भ हो जायेगा।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

संख्या-03/2021/113(1)/12-5-2021-सा0-01/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
विद्याशंकर सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।